VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS No. 3 04 JAN 2021 RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1523)

Name of Candidate	Girdhari		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	330810
Center	MN, DELHI	Date	31/12/2020

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Enumerate the issues associated with functioning of the Central Information Commission. How can these issues be addressed?

(150 words) 10

केंद्रीय सूचना आयोग की कार्य प्रणाली से संबद्ध मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों का कैसे समाधान किया जा सकता है?

आरटीआई अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई जिसमें एक अध्यक्ष व अन्य उपाध्यक्ष होते हैं।

आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयुक्तों का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो पहले 5 साल था। साथ ही वेतन-भत्तों का निर्धारण भी सरकार ही करेगी।

कार्यप्रणाली व मुद्दे

① सूचना आयोग के पास आवश्यक अवसंरचना तथा मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं है।

② केन्द्रीय सूचना आयोग का कार्य मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। अन्य क्षेत्रों में इसके कार्यों पर कई प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं।

③ नवीन संशोधनों के कारण आयोग पर राजनीतिक दबाव व नियंत्रण बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

④ केन्द्रीय सूचना आयोग का सूचना तंत्र भी प्रभावी नहीं है तथा अस्पष्ट आधारों पर सूचना देने

से मना किया जा सकता हैं।
⑤ केन्द्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोगों के मध्य समन्वय का अभाव

समाधान

① कार्यप्रणाली का सुरक्षा के साथ डिजीटलीकरण।
② सूचना आयुक्तों की पर्याप्त स्वतंत्रता।
③ अवसंरचना विकास तथा मानव संसाधन को प्रशिक्षण।
④ पारदर्शिता को बढ़ावा तथा सूचना न देने के विशिष्ट ~~अधिकारों~~ कारणों का उल्लेख।
⑤ राज्य व केन्द्र स्तर पर सूचना आयोगों में समन्वय।
⑥ राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र होकर कार्य करना।

केन्द्रीय सूचना आयोग पारदर्शिता की संस्कृति व सूचना आधारित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अतः इससे सम्बन्धित मुद्दों का समाधान किया जाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. In India, Governor's discretionary powers are wider than those of the President. Elaborate. (150 words) 10

भारत में, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है जो कुछ शक्तियों का धीरे-धीरे विकास हुआ है।

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ

① संसद द्वारा पारित ~~बिल~~ ~~अथ~~ विधेयक पर स्वीकृति (संविधान संशोधन व धन विधेयक के अलावा) को लेकर वीटो शक्ति का प्रयोग।

② Art. 78 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद संबंधी सूचना की माँग।

③ लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री का चुनाव या प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर निर्णय।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

① अनु. 200 & 201 के तहत राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय विवेक के प्रयोग के माध्यम से इसे केन्द्र के लिए आरक्षित कर सकता है।

② बहुमत न होने पर सरकार का गठन तथा मुख्यमंत्री का पद रिक्त होने पर निर्णय करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ ~~Art. 163~~ Art. 167 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद से अपने संबंधों के तहत विवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता हैं।

④ ~~अनु. 365~~ 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने में भी राज्यपाल द्वारा विवेक की शक्ति का प्रयोग किया जाता हैं।

⑤ ~~संसद~~ सदन के सत्र को आहूत करने तथा संबंधी कार्यों में भी राज्यपाल द्वारा विवेक की शक्ति का प्रयोग किया जाता हैं यद्यपि यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता हैं।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति से अधिक व्यापक हैं। इनके कारण विवाद की स्थितियाँ सामने आती हैं। सरकारिया व पुंछी आयोग के द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए सुझाव दिये हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Highlight the objectives that were sought to be achieved through tribunals. How successful have they been in meeting them? **(150 words) 10**

उन उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए जिन्हें अधिकरणों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। वे उन्हें पूर्ण करने में कितने सफल रहे हैं?

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनु. 323A (प्रशासनिक अधिकरण), अनु. 323B (अन्य अधिकरण) के तहत अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

उद्देश्य
- त्वरित व सस्ता न्याय
- न्यायिक संस्थाओं पर मुकदमों का बोझ कम करना।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू करना।
- तकनीकी मामलों में विशेषज्ञों द्वारा न्याय
- अधिकरणों के माध्यम से प्रशासनिक विवादों के समाधान व व्यावसायिक विवादों, कर विवादों में कमी का लक्ष्य रखा गया था।

अधिकरणों द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर, विशिष्ट न्याय की अवधारणा को लागू किया है। साथ ही न्यायपालिका में मुकदमों की लम्बितता में कमी के लिए भी अधिकरण के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कर विवादों व सम्पत्ति संबंधी विवादों का समाधान अधिकरण द्वारा किया गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समस्या	उपाय
① मुकदमों की बढ़ती लम्बितता	→ तकनीक प्रयोग व अधिकरणों का विस्तार
② अवसंरचना तथा मानव संसाधन की कमी।	→ अवसंरचना विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
③ जटिल कार्यप्रणाली।	→ कार्यप्रणाली की सरलता
④ राजनीतिक दबाव में कार्य करना।	→ स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप में कार्य करना।
⑤ SC व HC के कार्यक्षेत्र पर प्रभाव	→ अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण व शक्ति संतुलन के आधार पर कार्य करना।

अधिकरण विशिष्ट सस्ता तीव्र न्याय के लिए गठित किए गये थे। इनसे संबंधित मुद्दों का समाधान कर इनकी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Instead of the government regulating Over-the-top (OTT) platforms, there have been calls for a self-regulating mechanism for such platforms, as in the case of print media. Discuss. (150 words) 10

सरकार द्वारा ओवर-द-टॉप (ओ.टी.टी.) प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के स्थान पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्व-विनियमन तंत्र हेतु आह्वान किया गया है, जैसे कि प्रिंट मीडिया के मामले में किया गया है। चर्चा कीजिए।

सरकार द्वारा ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म्स के विनियमन के लिए स्व-विनियमन के बजाय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नियंत्रण का प्रयास किया गया है।

स्व विनियमन तंत्र की आवश्यकता

① यह जनता में मीडिया के प्रति सकारात्मक भाव पैदा करता है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

② स्व-विनियमन अधिकप्रभावी होता है तथा नवाचार व रचनात्मकता का भी समावेश करता है।

③ स्व विनियमन के कारण न्यायपालिका पर दबाव भी नहीं बढ़ेगा।

④ सेंसरशिप आधारित राज्य की धारणा को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

सरकार द्वारा नियमन के नुकसान

① सरकार द्वारा विनियमन के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।

② निगरानी राज्य तंत्र का विकास।

③ इससे फिल्म उद्योग के विकास पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ साथ ही OTT द्वारा फिल्म उद्योग में नवाचारों को शामिल किया जा रहा है। सरकारी नियंत्रण के कारण नवाचार विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही है।

समीक्षा

① सरकार द्वारा स्व विनियमन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया क्योंकि यह आचार संहिता को प्रभावी रूप से शामिल नहीं करते, तृतीय पक्ष की निगरानी का अभाव तथा अन्य पक्षों के हितों को शामिल नहीं किया गया।

② स्व विनियमन के लिए किसी सम्मति आधारित ढांचे की आवश्यकता होगी तथा स्व विनियमन में सभी हितधारकों को शामिल करना भी चुनौती है।

OTT के विनियमन के लिए सरकार द्वारा स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए स्पष्ट मानदण्डों व वैश्विक सहयोग के माध्यम से विनियमन की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Bring out the arguments surrounding the issue of some states reserving jobs for locals in the private sector. (150 words) 10

कुछ राज्यों द्वारा निजी क्षेत्रक में नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित मुद्दे के चतुर्दिक तर्कों को स्पष्ट कीजिए।

हरियाणा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश व अन्य राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया है।

पक्ष में तर्क

① निजी क्षेत्र में राज्य आधारित आरक्षण से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

② केन्द्र द्वारा निधियों का अपर्याप्त हस्तांतरण किये जाने के कारण भी ऐसी मांगों को बढ़ावा मिला है।

③ साथ ही बढ़ती बेरोजगारी कृषि संकट के कारण भी निजी क्षेत्र में आरक्षण को बढ़ावा देने की मांग सामने आयी है।

④ निजी विकास के दौरान भूमि के अधिग्रहण के दौरान विस्थापन को बढ़ावा मिलता है। इस कारण भी इनको शामिल किया जाना चाहिए।

⑤ वर्तमान में प्रवासी संकट के कारण भी स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण भी निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण की बात कही जा रही है।

⑥ साथ ही इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विपक्ष में तर्क

① नौकरियों में आवास संबंधी शर्त का कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है न कि राज्य विधानमण्डल द्वारा।

② साथ ही इस प्रकार के उपायों से क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

③ उद्योग क्षेत्र में भी इससे नकारात्मक प्रभाव होगा

- → ईज ऑफ डूइंग में बाधा।
- → कौशल युक्त कार्यबल की प्राप्ति में बाधा
- → संरक्षणवादी नीतियों को और अधिक बढ़ावा
- → औद्योगिक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप
- → इससे निवेश बाधित हो सकता है।

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के बजाय कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अन्तर-राज्यीय समन्वय के माध्यम से जनांकिकीय लाभांश का उचित उपयोग किया जाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Identifying the key elements of Mission Karmayogi, briefly explain how it can lead to holistic development of the human resources and state's capacity. (150 words) 10

मिशन कर्मयोगी के प्रमुख तत्वों की पहचान करते हुए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि इससे मानव संसाधन और राज्य की क्षमता का समग्र विकास कैसे हो सकता है।

प्रशासन में सुधार के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के रूप में मिशन कर्मयोगी को लाया गया।

प्रमुख तत्व

① यह 5 साल के लिए है तथा इसके लिए निधि का आवंटन किया गया है।

② साथ ही मिशन कर्मयोग - iGOT प्लेटफॉर्म का समन्वय किया गया है।

③ इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में रूल आधारित से भूमिका आधारित, ऑफ साइट लर्निंग, विशेषज्ञता व सामान्यता में समन्वय, भूमिका व दक्षता के लिए ढाँचा तथा मूल्यांकन के लिए उचित तंत्र का विकास किया गया है।

④ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन ~~विकास~~ परिषद की स्थापना की जायेगी जो मानव संसाधन विकास व प्रशिक्षण के लिए कार्य करेगी।

⑤ साथ ही कैबिनेट स्तर पर एक समन्वय यूनिट का भी गठन किया जायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑥ समता विकास आयोग, प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करेगा तथा निजी क्षेत्र के अनुभवों का लाभ लेने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है।

लाभ

① प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का समन्वय।
② विशेषज्ञता व सामान्यता में समन्वय।
③ प्रशासन को नागरिक केन्द्रित बनाया जा सकेगा जिसकी सिफारिश द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी की गई थी।
④ साथ ही प्रशासन में क्षमता विकास होगा।
⑤ साथ ही मांग आधारित नीतियों को बढ़ावा मिलेगा तथा सुशासन की धारणा सामने आयेगी।
⑥ क्षमता विकास आयोग की भूमिका के कारण प्रशासकों में नवीन क्षमताओं का विकास किया जा सकेगा।
⑦ साथ ही केन्द्र व राज्य समन्वय में भी वृद्धि होगी।

मिशन कर्मयोगी नवीन समस्याओं के लिए प्रशासन को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करेगा तथा सुशासन की अवधारणा को आगे बढ़ायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Highlighting the role played by ASHA workers in public health system of India, discuss the challenges faced by them. (150 words) 10

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करते हुए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के लिए शामिल किया गया है तथा इनके द्वारा बहुआयामी भूमिका का निर्वहन किया गया।

भूमिका

① सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना।

② महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बनाना।

③ जननी शिशु सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से मातृ व शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य।

④ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा → 90% (ग्रामीण क्षेत्र), → 96% (शहरी क्षेत्र)

⑤ आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य चुनौतियों यथा कोविड-19 के समय जागरूकता, सामाजिक दूरी का पालन, क्वारंटाइन केन्द्रों के विकास में सहयोग दिया।

⑥ साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।

चुनौतियाँ

① आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का अभाव।

② समय पर मानदेय का भुगतान नहीं।

③ समाज में आशा कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान नहीं।
④ पर्याप्त अवसंरचना एवं संसाधनों का अभाव।
⑤ कोविड-19 के समय सुरक्षा, जीवन निर्वाह संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा

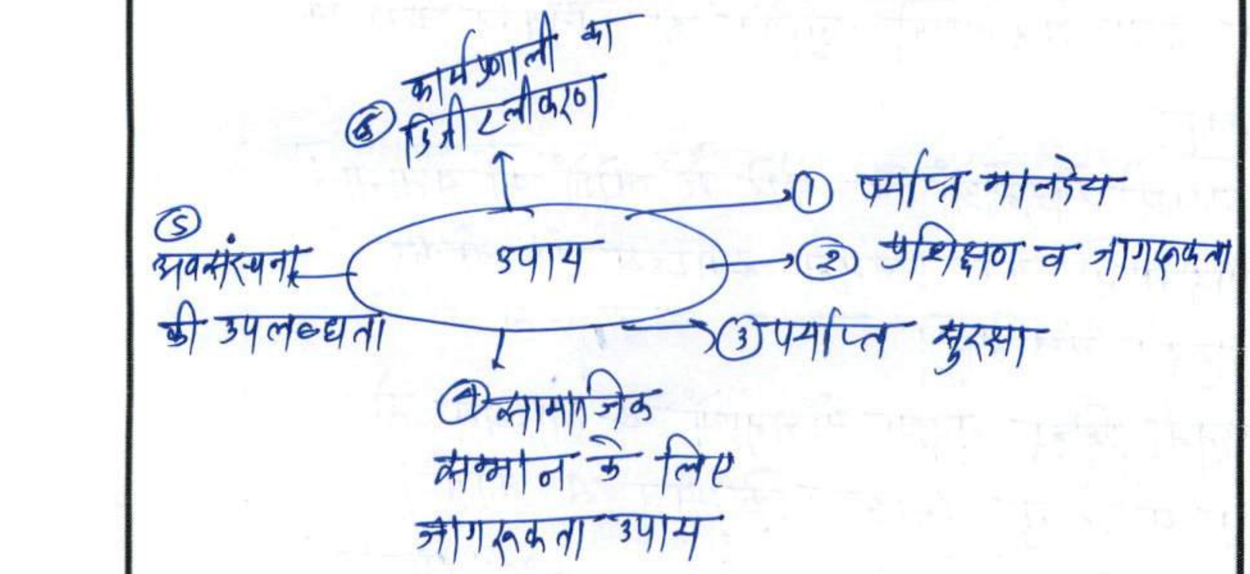

आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य के विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण के लिए जरूरी हैं। इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While internationalisation of higher education has many potential benefits for India, certain challenges will need to be addressed in this regard. Discuss. (150 words) 10

यद्यपि उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के भारत के लिए कई संभावित लाभ हैं, तथापि इस संबंध में कुछ चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्रावधान किये गये हैं।

इसके तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की प्रभावी भूमिका के माध्यम से विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही जा रही है।

(लाभ)

1. उच्चतर शिक्षा मे गुणवत्ता।
2. विश्व स्तरीय रिसर्च & विकास।
3. वैश्विक सहयोग के कारण नवीन तकनीकों को शिक्षा में शामिल करना।
4. शिक्षा के क्षेत्र मे निवेश बढ़ेगा।
5. मूल्यांकन व प्रत्यायन की विश्वस्तरीय प्रणाली का विकास होगा।
6. उच्चतर शिक्षा से कौशल विकास होगा तथा वर्तमान डिग्रीधारी बेरोजगारी की दशा से मुक्ति प्राप्त होगी।
7. उच्चतर शिक्षा का समाज से जुड़ाव होगा व समाज मे वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

① शिक्षा के निजीकरण का भय।
② वर्तमान सामाजिक-आर्थिक विषमता और अधिक बढ़ सकती हैं।
③ हो सकता हैं कि शिक्षा में पाश्चिमीकरण के कारण शिक्षा यथार्थ से दूर हो जाये।
④ इससे संबंधित अवसंरचना व मानव संसाधन की अनुपलब्धता भी एक बाधा हैं।
⑤ विभिन्न हितधारकों के हितों का समन्वय।

उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शिक्षा में गुणवत्ता व अनुसंधान का समावेश करेगा लेकिन इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. India needs to adopt a more pragmatic stance in the context of the ongoing intra-Afghan talks. Discuss, in the light of India's engagement with Afghanistan. (150 words) 10

भारत को वर्तमान में जारी अंतरा-अफगान वार्ताओं के संदर्भ में अधिक व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव के आलोक में चर्चा कीजिए।

अफगान वार्ता में पाकिस्तान, तालिबान व अमेरिका की प्रभावी भूमिका है लेकिन भारत इससे अभी तक सरकारी स्तर पर अलग ही बना हुआ है।

अफगान वार्ता में अब तालिबान को मान्यता दी गई है तथा कैदियों की परस्पर प्रदायगी के साथ-साथ अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान की वापसी की जायेगी। इस वार्ता में पाकिस्तान की भी मुख्य भूमिका रही है जबकि भारत इससे दूर ही है। भारत को अफगान वार्ता में अधिक व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए -

① भारत द्वारा अफगानी संसद, जरांज-देलाराम राजमार्ग व चाबहार पत्तन के विकास के माध्यम से अफगान के साथ सम्पर्क बढ़ाने का प्रयास किया है। इनके संरक्षण के लिए वार्ता में भागीदारी आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② भारत की मध्य एशिया तक पहुँच व ऊर्जा सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान का महत्व है।
③ चीन व पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ जायेगा।
④ स्थिर व विकसित अफगान से ही क्षेत्र में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
⑤ आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए भी भारत को वार्ता में भागीदारी करनी चाहिए।
⑥ बदलती विश्व व्यवस्था में नेट सुरक्षा प्रदाता बनने व हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी भूमिका के लिए भारत को वार्ता मे शामिल होना चाहिए।

भारत को व्यावहारिक नीति का पालन करते हुए अफगान नियंत्रित, अफगान समर्थित व अफगानी विकास के लिए आवश्यक वार्ता मे भागीदारी करनी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. In the geo-strategic context of West Asia, the recent efforts to normalise relations between Israel and UAE may open new possibilities for India. Analyse. (150 words) 10

पश्चिम एशिया के भू-रणनीतिक संदर्भ में, इजरायल और यू.ए.ई. के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों से भारत हेतु नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्लेषण कीजिए।

पश्चिम एशिया में सहयोग के लिए यूएई व इजरायल द्वारा अब्राहम समझौता किया गया तथा यूएई तीसरा अरब देश बन गया जिसने इजरायल के साथ औपचारिक संबंध बनाये ~~बने~~

भारत के लिए सम्भावना

① इस क्षेत्र में स्थिरता से भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सकता है।

② साथ ही पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता से भारतीय कामगारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

③ भारत में पश्चिम एशिया से निवेश बढ़ेगा क्योंकि सऊदी अरब द्वारा विजन 2030 के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विस्तार का कार्य किया जा रहा है।

④ क्षेत्र में शांति से आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण होगा। इससे भारत में भी आतंकी घटनाओं में कमी आयेगी।

⑤ भारत - अरब क्षेत्र में सांस्कृतिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑥ साथ ही द्वि राज्य समाधान की धारणा के माध्यम से इजरायल - फिलीस्तीन विवाद का समाधान होगा तथा भारत - इजरायल संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।

(मुद्दे)

① इजरायल के साथ संबंध बढ़ने से भारत - ईरान संबंध कमजोर हो सकते हैं क्योंकि सऊदी व ईरानी गुट के मध्य संघर्ष व्याप्त है।

② क्षेत्र में चीनी प्रभाव बढ़ सकता है।

③ ईरान के साथ संबंध प्रभावित होने से चाबहार बंदरगाह व इससे संबंधित भू रणनीतिक लाभ प्रभावित होंगे।

पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता से भारत व विश्व सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। भारत को अपने हितों के लिए क्षेत्र के सभी पक्षों से संबंधों की सुदृढ़ता पर बल देना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. It is not only the content of election manifestos but also the past performance with respect to promises made in election manifestos that need to be regulated. Discuss. **(250 words) 15**

केवल चुनावी घोषणा-पत्रों की विषयवस्तु को ही नहीं, बल्कि चुनावी घोषणा-पत्रों में किए गए वादों से संबंधित विगत निष्पादन को भी विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने व सरकारी धन के अपव्यय पर नियंत्रण के लिए चुनावी घोषणा पत्र की स्वतंत्र समीक्षा पर बल दिया है।

वर्तमान में चुनावी घोषणा पत्रों में आर्थिक विवेक का ध्यान नहीं रखा जाता। लोक लुभावनवाद के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तथा इसका प्रभाव सरकारी खजाने पर होता है। साथ ही विषयवस्तु भी विवादास्पद होती हैं जो धर्म व जाति के आधार पर संचालित होती हैं। कई समितियों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र की समीक्षा पर बल दिया है।

चुनावी घोषणा पत्र व विगत वादे

① पुरानी वादों की पूर्ति के आधार पर ही नये वादों के पूरी होने की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है।

② राजनीतिक दलों में जवाबदेहिता का समावेश।

③ वित्तीय विवेक।

(4) लोकलुभावनवादी घोषणा पत्रों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

(5) साथ ही इससे सकारात्मक राजनीतिक विमर्श की शुरुआत होगी।

(6) पुराने वादों के निष्पादन को आधार बनाकर समीक्षा करने से चुनावी घोषणा पत्र आगे यथार्थ हो सकेंगे।

(7) इससे समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं व इनके निष्पादन के बारे में जानकारी मिलेगी।

(8) स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

मुद्दे

(1) इससे राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता भी बाधित हो सकती हैं।

(2) साथ ही वर्तमान में RPA, 1951 व चुनाव आयोग इस कार्य के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं हैं।

(3) साथ ही चुनावी घोषणा पत्रों की समीक्षा का कार्य अधिक खर्चीला व जटिल हो सकता हैं।

(4) राजनीतिक दलों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राजनीतिक दलों के मध्य सकारात्मक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतिस्पर्धा को बाधित करता हैं।

(उपाय)

① राजनीतिक दलों द्वारा स्व विनियमन का कार्य।

② चुनावी घोषणा पत्रों के लिए निर्वाचन आयोग की अग्र सक्रिय भूमिका।

③ डिजिटल साधनों के माध्यम से घोषणा पत्र का निर्माण व समीक्षा का कार्य।

④ एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण जो इस कार्य को तकनीकी रूप से देख सके।

राजनीतिक दलों के घोषणापत्र पर युक्तियुक्त निर्बंधन आवश्यक हैं यद्यपि इससे राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की मूल धारणा बाधित नहीं होनी चाहिए।

12. In order to achieve a reduction in the pendency of cases and a return to the Supreme Court's original role as a final appellate court, setting up of a National Court of Appeal is the need of the hour. Discuss. **(250 words) 15**

लंबित वादों की संख्या में कमी लाने और उच्चतम न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में उसकी मूल भूमिका में पुन: स्थापित करने के लिए, एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करना समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

समय - समय पर राष्ट्रीय अपिल न्यायालय स्थापित करने की बात कही जाती है जो HC व अधिकरणों में श्रम व अन्य तकनीकी मामलों की अपील के के माध्यम से सुनवाई करेगा।

अपीलीय न्यायालय क्षेत्रीय बेन्चों के सहयोग से कार्य करेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय का पूरक होगा।

आवश्यकता

① सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय वादों की लम्बितता को सीमित करने के लिए अपीलीय न्यायालयों की आवश्यकता हैं।

② यह क्षेत्रीय बेंचों के सहयोग से विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्य करेगा।

③ सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार केन्द्र-राज्य विवादों का समाधान व संविधान की व्याख्या व संवैधानिक मामलों में सुनवाई करना होना चाहिए।

④ अपीलीय न्यायालय के कारण भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्योंकि वादों का त्वरित समाधान होगा।

③ अपीलीय न्यायालय की क्षेत्रीय उपस्थिति के कारण वादों की लागत में कमी आयेगी तथा दिल्ली आने की आवश्यकता कम होगी।

विपक्ष

① इससे सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियों में कमी आ सकती हैं।

② साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अपनी मूल अधिकारिता को खो सकता हैं जो संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल हैं।

③ आगे ऐसी माँग उच्च न्यायालयों के लिए अपीलीय न्यायालयों की माँग के रूप में भी सामने आ सकती हैं।

④ साथ ही न्याय व्यवस्था की जटिलता में वृद्धि हो सकती हैं।

⑤ न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है।

आगे

① विवाद समाधान के वैकल्पिक तंत्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा अधिकरणों से सम्बंधित मुद्दों का समाधान कर तकनीकी क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को त्वरित किया जाना चाहिए।

② सर्वोच्च न्यायालय में तकनीकी प्रयोग, अवसंरचना विकास, ताकि वादों की लम्बितता को कम किया जा सकेगा।
③ अनु. 130 के प्रयोग के माध्यम से CJI द्वारा प्रायोगिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना की जानी चाहिए।

न्याय व्यवस्था में कोई भी बदलाव न्याय व्यवस्था की तीव्रता के साथ-साथ न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The Constitution of India reflects an amalgamation of spirit of Indian freedom struggle and various administrative provisions of different acts of British rule in India. Explain. **(250 words) 15**

भारत का संविधान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावना और भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियमों के अनेक प्रशासनिक प्रावधानों के मिश्रण को दर्शाता है। व्याख्या कीजिए।

भारत का संविधान एक लम्बे स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात निर्मित किया गया जो भारतीय मूल्यों के साथ-साथ ब्रिटिश अधिनियमों के प्रभाव से भी युक्त दिखाई देता हैं।

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की भावना

① प्रस्तावना के तहत संविधान की शक्ति का स्रोत "हम भारत के लोग" बताया गया हैं।

② साथ ही प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता व एकता की भावना को भी स्थापित किया गया हैं।

③ नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रस्तावना में धार्मिक सद्भाव का लक्ष्य रखा गया हैं।

④ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष सभी वर्गों का संघर्ष था। अतः स्वतंत्रता संघर्ष की भावना के आधार पर संविधान को भी समावेशी बनाया गया।

⑤ मजदूरों व किसानों की भावना को नीति निदेशक तत्वों में अभिव्यक्त किया गया।

⑥ 42 वें संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष

के मूल्यों के पालन की बात को भी मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया।

Ⓖ स्वतंत्रता संघर्ष अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष था। इस आधार पर मूल अधिकारों के तहत राज्य की शक्ति को सीमित रखा गया।

ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियम

Ⓐ 1935 का अधिनियम →
- आपातकाल
- राज्यपाल
- शक्तियों का विभाजन
- द्विसदनीय विधानमण्डल
- न्यायपालिका

Ⓑ 1909 का अधिनियम → बजट संबंधी प्रावधान, बजट पर बजट का प्रावधान व मताधिकार संबंधी प्रावधान।

Ⓒ 1853 के अधिनियम के माध्यम से प्रतियोगिता आधारित सिविल सेवा की बात कही गई थी। यह वर्तमान में भी जारी है।

Ⓓ 1919 के अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी।

Ⓔ 1773 का रेग्यूलेटिंग अधिनियम न्यायालय संबंधी प्रावधान करता था जो वर्तमान में भी जारी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(F) 1784 के पिट्स इण्डिया ऐक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर की व्यवस्था की झलक वर्तमान में 'राष्ट्रपति के रूप में देखी जा सकती है।

भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा अच्छी बातों को ग्रहण किया तथा आवश्यकता आधार पर संविधान में इनको शामिल किया गया। स्वतंत्रता संघर्ष की भावना को सर्वोपरि रखा गया।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Mention the key components of the SVAMITVA scheme. Also, highlight its intended benefits and discuss the potential issues in its implementation. (250 words) 15

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के प्रमुख अवयवों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसके अपेक्षित लाभों को रेखांकित कीजिए तथा इसके कार्यान्वयन में संभावित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की आबादी युक्त भूमि का तकनीकी आधारित सर्वेक्षण किया जायेगा ताकि भू स्वामित्व को स्पष्ट किया जा सके।

इसके तहत स्वामित्व के रिकॉर्ड का अद्यतन किया जायेगा।

अवयव

① ड्रोन का प्रयोग कर भूमि स्वामित्व स्पष्ट करना।

② ग्राम मानचित्रण कर भूमि सीमाओं को स्पष्ट करना।

③ परियोजना प्रबंधन इकाईयों की स्थापना।

④ ज्ञान, सूचना साझाकरण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन।

⑤ ऑनलाइन रिपोर्टिंग व डैशबोर्ड आधारित कार्य किया जायेगा।

⑥ तकनीकी आधारित सर्वेक्षण के लिए भू प्रमाणीकरण केन्द्रों की भी स्थापना की जायेगी।

लाभ

① ग्रामीण क्षेत्र में भू स्वामित्व को स्पष्ट किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) भूमि को क्रय विक्रय योग्य बनाया जा सकेगा जिससे लोगों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।

(3) साथ ही स्थानीय स्वायत शासन निकायों को सम्पत्ति कर प्राप्ति में आसानी होगी क्योंकि इससे भूमि का स्वामित्व स्पष्ट किया जा सकेगा।

(4) भूमि स्वामित्व स्पष्ट होने से भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों में भी कमी आने की सम्भावना है।

(5) साथ ही स्वामित्व योजना से प्राप्त डाटा का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जा सकता है।

(3) मुद्दे

(1) भूमि को क्रय - विक्रय योग्य बनाने की बात कही गई है। इससे ग्रामीण संबंध और अधिक जटिल हो सकते हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के सुभेद्य वर्गों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(3) इस योजना व भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद की स्थिति में शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई।

(4) साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भूमि एक संवेदनशील

मुद्दा है। अतः इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

उपाय
- शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था
- सभी हितधारकों को प्रारम्भिक समय से ही विश्वास में रखना।
- पंचायती राज संस्थानों की प्रभावी भूमिका।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान
- सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

स्वामित्व योजना प्रशासन, विकास संबंधी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यद्यपि इससे संबंधित मुद्दों का समाधान भी आवश्यक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Sharing of information among all stakeholders in government functioning is a leading practice towards good governance. Discuss with examples.

(250 words) 15

सरकारी कार्यप्रणाली में सभी हितधारकों के मध्य सूचना को साझा करना सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परिपाटी है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सुशासन से तात्पर्य है कि प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का समावेश हो, कानून का शासन स्थापित हो।

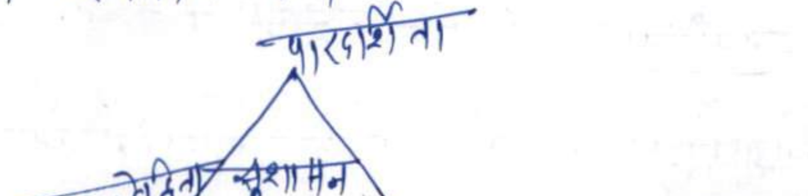

सुशासन के लिए सूचना का साझाकरण आवश्यक है। सरकारी कार्यप्रणाली में सरकार, नागरिक समाज, जनता व व्यवसायी प्रमुख हितधारक होते हैं।

सूचना साझाकरण के लाभ

① प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का समावेश होता है।

② साथ ही सरकार को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है।

③ साथ ही सूचना साझाकरण के माध्यम से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ज्ञान आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है।

(4) सूचना साझाकरण से नागरिकों की का प्रशासन से जुड़ाव होगा तथा जन केन्द्रित प्रशासन का विकास होगा।

(5) सूचना साझाकरण से नीतियों की निश्चितता सामने आयेगी तथा कारोबारियों के लिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।

(6) सूचना साझाकरण के माध्यम से नागरिक समाज सरकार को विरोध के माध्यम से जवाबदेह बना सकता है तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण इनपुट भी दे सकता है।

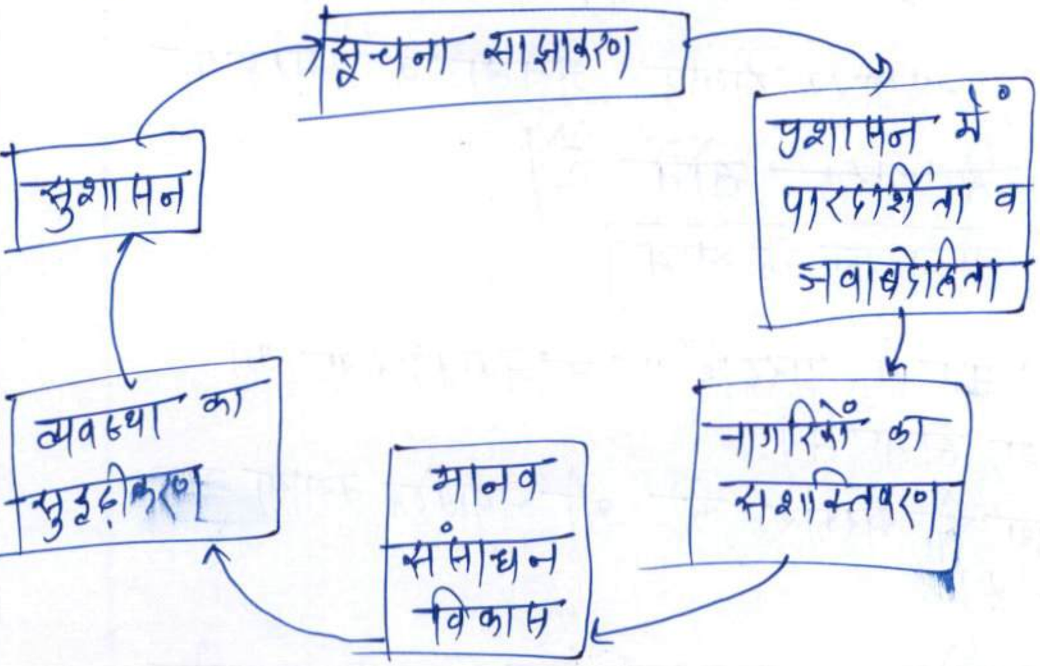

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

किये गये उपाय	क्या किया जाना चाहिये
① RTI	① तकनीकी विकास
② सिटीजन चार्टर	② नागरिकों का सशक्तिकरण
③ सत्यनिष्ठा समझौता	③ व्यवस्था से नागरिकों का जुड़ाव।
④ सेवोत्तम मॉडल	④ शासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।
⑤ सामाजिक अंकेक्षण	⑤ सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना।
⑥ ICT आधारित शासन प्रणाली	

सुशासन के लिए सूचना साक्षावरण पूर्व शर्त हैं। इसके लिए तकनीकी विकास, संस्थागत सुदृढ़ता व नागरिकों का सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. India has an oversized and bloated government which acts as a drag on economic efficiency and growth. Critically evaluate. **(250 words) 15**

भारत में आवश्यकता से अधिक आकार और अतिशय दायित्वों को वहन करने वाली सरकार है, जो आर्थिक दक्षता एवं वृद्धि के संबंध में एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा सुशासन के लिए "मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस" की सिफारिश की थी।

भारत में केन्द्र व राज्य स्तर पर आवश्यकता से अधिक आकार की सरकार है तथा सरकार द्वारा आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

(1) अधिक सरकार के कारण समन्वय की स्थापना मे बाधा आती है।

(2) साथ ही सरकारी खर्च पर दबाव भी बढ़ता है।

(3) सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य मतभेद सामने आता है।

(4) सरकार की क्षमता सीमित होती है। इस कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।

(5) प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का समावेश नहीं हो पाता है।

(6) साथ ही इस कारण व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

भी बाधित होती हैं।

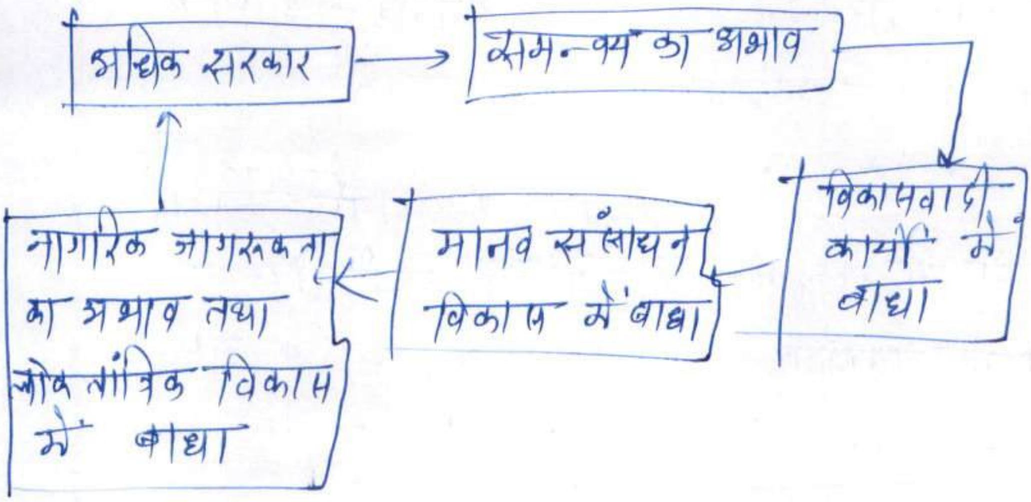

उपाय

1. सरकार द्वारा स्वयं के आकार को सीमित करना।
2. अपनी कार्यप्रणाली में तकनीक का समावेश।
3. निरंतर समीक्षा के द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली को सक्षम बनाना।
4. विकासवादी कार्यों में निजी क्षेत्र की प्रभावी भूमिका हो।
5. प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का समावेश
6. ज्ञान आधारित समाज का निर्माण।

यद्यपि सरकार के आकार में कमी से कल्याणकारी राज्य की भावना कमजोर हो सकती हैं। साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए की गई सकारात्मक विभेद की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नीति भी बाधित हो सकती हैं। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण सामाजिक- आर्थिक विषमता और अधिक बढ़ सकती है।

सरकार के कार्यों व आकार में कमी से सुशासन की प्राप्ति होगी लेकिन समावेशी विकास की मूल भावना के आधार पर ही कार्य किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Though the National Digital Health Mission is a step in the right direction for both patients and the healthcare system, concerns around data privacy need to be addressed. Examine. **(250 words) 15**

यद्यपि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, दोनों के लिए उचित दिशा में उठाया गया एक कदम है, तथापि डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वैच्छिक आधार पर संचालित होने वाले राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की परिकल्पना की थी।

प्रावधान

(1) डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण किया जायेगा। इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डॉक्टर की आईडी व अन्य संबंधित पक्षों की पहचान संबंधी डाटा रखा जायेगा।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था इस मिशन की मुख्य कार्यकारी व समन्वय इकाई होगी।

(3) इस मिशन के तहत डिजिटल अवसंरचना विकास के लिए भी कार्य किया जायेगा।

लाभ

(A) रोगियों के लिए

(1) अच्छी चिकित्सा सुविधा की प्राप्ति।

(2) वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं में विद्यमान अंतराल को भरना।

(3) लक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना।

(B) स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

→ अवसंरचना अंतराल को दूर किया जा सकेगा।

→ विशाल मात्रा में डेटा की उपलब्धता जिसका प्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जा सकेगा।

→ स्वास्थ्य संबंधी अन्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा रोगियों की स्वास्थ्य प्रणाली में व्यापक भागीदारी।

मुद्दे

① सबसे बड़ा मुद्दा रोगियों के डेटा की सुरक्षा व निजता के मूल अधिकार के संरक्षण का है।

② साथ ही भारत में इस विशाल मात्रा में डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।

③ साथ ही स्वास्थ्य सुविधा के कारण केन्द्र व राज्यों के मध्य मतभेद बढ़ सकते हैं।

④ समाज के सुभेद्य वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी एक प्रमुख मुद्दा है।

⑤ भारत में डेटा स्थानीयकरण संबंधी प्रावधानों में स्पष्टता का अभाव है।

उपाय

① ~~स्वदेशी~~ डिजिटल तकनीक में आत्मनिर्भरता तथा डाटा संरक्षण के क्षेत्र में तकनीकी विकास।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) केन्द्र-राज्य समन्वय।

(3) डाटा सुरक्षा व निजता के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना।

(4) प्रभावी डेटा संरक्षण नीति का निर्माण।

(5) ई-संजीवनी, मेरा अस्पताल, ई-अस्पताल व e-VIN जैसी डिजिटल पटलों में समन्वय।

डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य प्रणाली को विकेन्द्रीकृत स्वरूप प्रदान कर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करेगा, लेकिन इससे संबंधित मुद्दों का समाधान भी आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. One Nation One Ration card has the potential to significantly transform the lives of migrant workers in India. Analyse. (250 words) 15

वन नेशन वन राशन कार्ड में भारत में प्रवासी श्रमिकों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से रूपांतरित करने की क्षमता है। विश्लेषण कीजिए।

कोविड-19 के दौर में श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए "वन नेशन वन राशन कार्ड" पर बल दिया गया।

वन नेशन वन राशन कार्ड

- एक ही कार्ड की पूरे देश में स्वीकृति
- अन्तर राज्यीय पोर्टेबिलिटी
- केन्द्रीय खाद्यान्न योजना का लाभ श्रमिकों को पूरे देश में

लाभ

(1) वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ सुनिश्चित रूप से प्रदान किये जा सकते हैं। इससे श्रमिकों की बचत में वृद्धि होगी।

(2) वन नेशन वन राशन कार्ड से श्रमिकों को देश में कहीं भी खाद्यान्न की प्राप्ति हो सकेगी। इससे कोविड-19 जैसे समय में खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

(3) साथ ही अन्तर राज्यीय पोर्टेबिलिटी से गुणवत्ता आधारित डेटा का सृजन होगा, जिसका प्रयोग PDS में सुधार के लिए किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ PDS के डिजीटलीकरण को बढ़ावा।
⑤ प्रवासी श्रमिक वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से न्यूनतम जीवन स्तर को सुनिश्चित कर सकते हैं जो संविधान सम्मत भी हैं।
⑥ वन नेशन वन राशन कार्ड से श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे निम्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी तथा भारत वैश्विक हंगर इंडेक्स में अपने प्रदर्शन को सुधार सकेगा।

SDG नं. 1 → निर्धनता की समाप्ति
SDG नं. 2 → भुखमरी पर नियंत्रण
SDG नं. 3 → अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति
SDG नं. 5 → महिला असमानता में कमी

समीक्षा

① इस योजना के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता हैं क्योंकि इसमें राशन कॉर्ड के दुहराव की समस्या आ सकती हैं।
② गुणवत्तापूर्ण डाटा की उपलब्धता भी एक चुनौती हैं क्योंकि डाटा के बिना लाभार्थी चयन में असुविधा होगी।
③ साथ ही इस योजना के कारण कई राज्यों में लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जायेगी।

④ वन नेशन वन राशन कार्ड से केवल केन्द्रीय योजनाओं का ही लाभ मिलेगा तथा राज्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

उपाय
- डाटा सृजन
- डिजिटलीकरण
- केन्द्र-राज्य सहयोग
- NFSA, 2013 का अद्यतीकरण
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए तकनीकी प्रयोग
- विभिन्न हितधारकों को शामिल करना।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सतत व समावेशी विकास के साथ-साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान आवश्यक हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The World Trade Organization is buffeted by multiple challenges which have eroded the credibility of the organization. Analyse. (250 words) 15

विश्व व्यापार संगठन कई चुनौतियों से ग्रस्त है, जिसने संगठन की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

विश्व व्यापार संगठन वर्तमान स्वरूप में 1995 में सामने आया जो पहले GATT के नाम से कार्यरत था। इसका मुख्य उद्देश्य नियम आधारित विश्व व्यवस्था तथा स्वतंत्र व्यापार को सुनिश्चित करना।

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस कारण इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

~~प्रासंगिकता~~ चुनौतियाँ

① बदलती विश्व व्यवस्था के तहत चीन-अमेरिका के मध्य टैरिफ वॉर चल रहा हैं जहाँ विश्व व्यापार संगठन की भूमिका प्रभावी दिखाई नहीं देती हैं।

② विश्व व्यापार संगठन का विवाद समाधान तंत्र भी व्यापार संगठन को कम प्रासंगिक बना रहा हैं। इसके कारण विभिन्न देशों के मध्य मतभेद और अधिक बढ़ रहे हैं।

③ विश्व में संरक्षणवाद की बढ़ती प्रकृति के कारण गैर प्रशुल्क बाधाएँ सामने आ रही हैं। इनके कारण विभिन्न देशों के मध्य व्यापार सीमित हो रहा हैं

तथा विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता कम हो रही है।

④ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर TRIPS व अन्य IPR नियमों के पालन का दबाव बनाया जा रहा है। इस कारण भी विकासशील देशों के मध्य अविश्वास बढ़ता जा रहा है।

⑤ WTO की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक लगती है लेकिन मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों में विकसित देश ही प्रभावी रहते हैं।

⑥ साथ ही WTO के समझौते के भेदभावपूर्ण व समावेशी न होने के कारण इस संगठन के मैण्डेट में कमी आ रही है।

प्रासंगिकता

① WTO अभी भी विश्व व्यापार के 98% भाग को विनियमित करता है।

② विश्व व्यापार व GDP के मध्य अनुपात बढ़ता जा रहा है। इस कारण विश्व के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

③ विश्व व्यापार संगठन व्यापार के अलावा नवाचार, सम्मेलनों के माध्यम से भी विश्व के समक्ष उपस्थित नवीन समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है।

(4) WTO का टूटना वैश्वीकरण एवं विश्व संस्थाओं के प्रति विश्वास में कमी लायेगा। इस कारण वर्तमान संरक्षणवादी विश्व में WTO की प्रासंगिकता तो और अधिक बढ़ गई है।

उपाय
- बहुपक्षीय व्यापार वार्ता
- गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करना।
- समझौतों को समावेशी बनाना।
- विवाद समाधान बोर्ड व अपीलीय बोर्ड में वांछित सुधार आवश्यक है।
- विकसित व विकासशील देशों के मध्य वार्ता के माध्यम से TRIPS+ का क्रियान्वयन
- कार्यप्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाना।

निष्कर्षतः विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों का व्यापार वार्ताओं के माध्यम से ले कर समावेशी व मुक्त व्यापार प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. BIMSTEC is indispensable for India's efforts in promoting regional cooperation and integration in the neighbourhood. Discuss. **(250 words) 15**
बिम्सटेक (BIMSTEC) पड़ोस में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में किए जाने वाले भारत के प्रयासों हेतु अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

बिम्सटेक का गठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया जो दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के सामाजिक, आर्थिक व रणनीतिक विकास पर बल देता है।

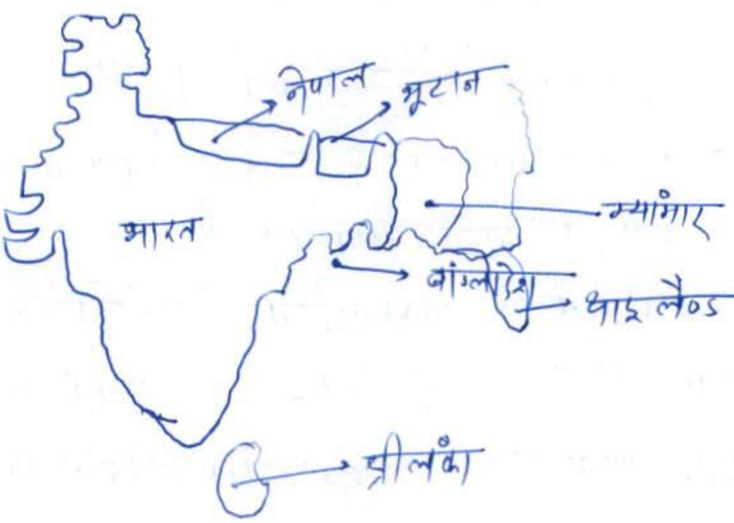

① बिम्सटेक के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एकीकरण को बढ़ा सकता है। इससे भारत–आसियान संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।

② बिम्सटेक दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया में कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट व भारत–म्यांमार–थाइलैण्ड राजमार्ग का विकास, इसी दिशा में किया जा रहा प्रयास है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) बिम्सटेक के माध्यम से भारत पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा व विकासवादी गतिविधियों को सुदृढ़ कर सकता है।

(4) भारत बिम्सटेक के प्रयोग से सार्क में पाकिस्तान के द्वारा अवरुद्ध की गई विकासवादी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकता है।

(5) बिम्सटेक चीन की BRI व स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी नीतियों को प्रतिसंतुलित करने की दृष्टि से भी भारत के लिए आवश्यक है।

(6) बिम्सटेक के माध्यम से आपदा प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है।

(7) बिम्सटेक के माध्यम से हिंद महासागर में भारत नेट सुरक्षा प्रदाता बन सकता है।

(8) साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से एकीकरण को भी बढ़ाया जा सकता है।

(9) बिम्सटेक के सहयोग से भारत समुद्री व्यापार, अवसंरचना विकास के क्षेत्र में एकीकृत कार्यवाही कर सकता है।

बिम्सटेक का महत्व सार्क के कम प्रासंगिक होने के साथ-साथ चीनी आक्रामकता बढ़ने

के बाद और अधिक बढ़ गया है। भारत द्वारा सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व संवृद्धि) पहल के माध्यम से बिम्सटेक के महत्व को वरीयता दी जा रही है।

मुद्दे

- क्षेत्र में चीनी प्रभाव
- BRI परियोजना एवं भारत
- बिम्सटेक के सम्मेलन नियत नहीं
- आपदा प्रबंधन व सैन्य सहयोग में कई देशों ने भाग नहीं लिया।
- भारतीय अधिकार की भावना को लेकर दूसरे देशों में संशय

वर्तमान रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में बिम्सटेक भारत के लिए एकीकरण एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य है। इससे संबंधित मुद्दों का समाधान भी आवश्यक है।